न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0—1, मुरादाबाद
जमानत प्रार्थना पत्र सं0— /2022
CNR No-UPMO040510372022
जमानत आदेश

02.08.2022ः—

मु0अ0सं0—27/2022, अन्तर्गत धारा—147,149,332,353,504,506 भा0दं0सं0, थाना नागफनी, जिला मुरादाबाद में प्रार्थी अब्दुल्ला उर्फ अब्दुल कादिर की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी को उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। सह—अभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है। अतः जमानत किये जाने की याचना की गयी है।

सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनांक 28.06.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। शपथकर्ता जाकिर हुसैन द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में सह—अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त अब्दुल्ला उर्फ अब्दुल कादिर द्वारा 25,000/—रू0 के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(मुकीम अहमद)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0—1, मुरादाबाद।
J.O. CODE-UP2110